

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 1250

28 अक्टूबर, 2019

प्रश्न संख्या

अस्पतालों का एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन

1250. श्री

श्री

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या देश के एक से दो प्रतिशत अस्पताल ही अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) के साथ पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अस्पतालों का एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन प्रक्रिया कितनी तेज है;

(ग) देश में अस्पतालों की संख्या में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचया प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) में इसका स्वीकृत प्रत्यायन संख्या 3207 है और प्रत्यायन संख्या 8602 है।

यदि हाँ, तो यह है कि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचया प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड के अंतर्गत अस्पतालों का वास्तविक प्रतिशतता बताना कठिन है क्योंकि प्रत्यायन प्रक्रिया में अस्पतालों को प्रत्यायन प्रदान करने में देरी होती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य (एन.ए.बी.एच.), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य (एन.ए.बी.एच.) प्रत्यायन प्रक्रिया (एन.ए.बी.एच.) में अस्पतालों को प्रत्यायन प्रदान करने में देरी है। एन.ए.बी.एच. द्वारा पैनलबद्धता हेतु अस्पतालों को प्रत्यायन प्रदान करने में देरी है। 2756 अस्पतालों को एन.ए.बी.एच. के अंतर्गत एन.ए.बी.एच. को आवेदन किया है।

एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन प्रक्रिया स्वीकृत प्रक्रिया है और इसलिए यह पूर्णतः स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं के लिए है कि वह एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन प्रक्रिया में प्रत्यायन प्रदान करने में देरी है और प्रमाणन प्राप्त